

19/12/2022

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता
उपम अधिवक्ता रेलपोर्टे-2 ने अदालत
करवाया कि अधीनस्थ न्यायालय में
~~मूल~~ पुराण से सम्बंधित मूलवाद
का निस्तारण हो चुका है अधिवक्ता-
रेलपोर्टे-2 ने अधीनस्थ न्यायालय में
आवेदन भी जमाया जहाँ पेशा भी माँ
शुद्धि मिलने की गई। अतः अधीनस्थ
न्यायालय में मूलवाद का निस्तारण
हो जाने के कारण अपील का प्रस्ताव ही
निस्तारणी होके है रजिस्ट्रार की जागी
है पत्रावली के फलतः उक्त अपील खारिज
है अतः ही

8

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली